"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 जून 2017—— ज्येष्ठ 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-149/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/2716 रायपुर, दिनांक 1 जून 2017

1. उर्वसी सिंह ठाकुर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014, नगर पंचायत पत्थलगांव, जिला जशपुर, छ.ग.
2. फूलो पन्ना, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014, नगर पंचायत पत्थलगांव, जिला जशपुर, छ.ग.
3. लक्ष्मी सिदार, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014, नगर पंचायत पत्थलगांव, जिला जशपुर, छ.ग.
4. सुशीला मिंज, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014, नगर पंचायत पत्थलगांव, जिला जशपुर, छ.ग.

आदेश
(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 1 जून 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत पत्थलगांव, जिला जशपुर के अध्यक्ष पद के लिये सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 16-4-2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित जानकारी में दर्शाया कि नगर पंचायत पत्थलगांव के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थीगण उर्वसी सिंह ठाकुर एवं सुशीला मिंज द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् दिनांक 4 फरवरी 2015 को समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है तथा अभ्यर्थीगण फूलो पन्ना एवं लक्ष्मी सिदार द्वारा नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थीगण उर्वसी सिंह ठाकुर, फूलो पन्ना, लक्ष्मी सिदार तथा सुशीला मिंज को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहीं तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण को तामील की गई. उक्त कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थीगण लक्ष्मी सिदार एवं सुशीला मिंज द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में और न

ही उसके पश्चात् आज पर्यन्त लिखित जवाब आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया. अत: यह मानकर कि अभ्यर्थीगण लक्ष्मी सिदार एवं सुशीला मिंज को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. अभ्यर्थी उर्वसी सिंह ठाकुर ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा की छायाप्रति के आयोग कार्यालय में दिनांक 6-6-2015 को प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4-2-2015 को निर्धारित समयावधि में कार्यालय कलेक्टर (नगरपालिका) जशपुर को प्रस्तुत कर दिया था. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर द्वारा अ.शा.पत्र क्रमांक 85/स्था.निर्वा./2016, दिनांक 7-6-2016 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी उर्वसी सिंह ठाकुर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 4-2-2015 को समयावधि में उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था. अभिमत में अभ्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं किया जाने की अनुशंसा की गई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में उल्लेख किया गया कि वे निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जशपुर गई थी परन्तु उस दिन व्यय लेखा अधिकारी द्वारा जमा नहीं लिया गया एवं कहा गया कि पत्थलगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर दो. फिर दूसरे दिन दिनांक 4-2-2015 को श्री पी.के. आनंद व्यय लेखाधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा लिया गया. अभ्यर्थी के शपथपूर्वक कथन पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर द्वारा अभिमत में लेख किया गया कि अभ्यर्थी का यह कथन सत्य नहीं है कि उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा लेखाधिकारी द्वारा जमा नहीं लिया गया.

5. अभ्यर्थी फूलो पन्ना ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब दिनांक 26-6-2015 आयोग कार्यालय में दिनांक 29-6-2015 को प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 31-1-2015 को दल सहायक नगर पंचायत पत्थलगांव समारू रतन के पास जमा कर दिया था. परन्तु अभ्यर्थी ने इसकी पुष्टि में पावती अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जशपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर द्वारा अ.शा. पत्र क्रमांक 85/स्था.निर्वा./2016, दिनांक 7-6-2016 में अभिमत दिया गया अभ्यर्थी फूलो पन्ना द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 31-1-2015 को नगरपंचायत पत्थलगांव में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है. अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 23-1-2017 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया था परन्तु अभ्यर्थी फूलो पन्ना सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुई अत: प्रकरण में एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण उर्वसी सिंह ठाकुर एवं सुशीला मिंज ने दिनांक 4-2-2015 को निर्धारित समयावधि में एवं अभ्यर्थीगण फूलो पन्ना एवं लक्ष्मी सिदार ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा-** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना-** अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था. यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जशपुर ने परिशिष्ट - 36 में प्रतिवेदित जानकारी में इसे दिनांक 4-2-2015 उल्लेखित किया है.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत पत्थलगांव जिला जशपुर के अध्यक्ष पद हेतु सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थीगण उर्वसी सिंह ठाकुर, फूलो पन्ना, लक्ष्मी सिदार एवं सुशीला मिंज ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया.

7.1 अभ्यर्थीगण लक्ष्मी सिदार एवं सुशीला मिंज ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में लिखित जवाब न तो निर्धारित समयावधि और न ही आज पर्यन्त आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया.

7.2 अभ्यर्थी फूलो पन्ना ने अपना लिखित जवाब आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया परन्तु उसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज आदि न तो प्रस्तुत किया और न ही उक्त सन्दर्भ में उन्हें सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किये जाने पर वे निर्धारित दिनांक को सूचना प्राप्ति के उपरान्त उपस्थित हुई.

7.3 अभ्यर्थी उर्वसी सिंह ठाकुर ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की पावती प्रस्तुत किया जिसमें अभ्यर्थी ने दिनांक 4-2-2015 को प्रस्तुत किये गये निर्वाचन व्यय लेखा को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना उल्लेखित किया. अभ्यर्थी ने आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में भी इसे दोहराते हुए यह भी उल्लेखित किया कि वे दिनांक 3-2-2015 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने जिला निर्वाचन कार्यालय जशपुर गई थी परन्तु वहां व्यय लेखा अधिकारी द्वारा उनका निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं लिया गया. अभ्यर्थी ने इसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया. अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के साथ संलग्न शपथपत्र नोटरी द्वारा दिनांक 4-2-2015 को निष्पादित किया हुआ है, अर्थात् अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय लेखा संबंधी दस्तावेज दिनांक 4-2-2015 को पूर्ण हुआ तब उसे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जशपुर को पेश किया गया. इससे यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 3-2-2015 को पूर्ण नहीं था. अत: अभ्यर्थी का यह कथन कि उसका निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 3-2-2015 को जमा नहीं लिया गया, मान्य योग्य नहीं है. अभ्यर्थी के शपथपूर्वक बयान में उल्लेखित तथ्य कि "मैं निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने दिनांक 3-2-2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर कार्यालय गई थी परन्तु उस दिन वहां पर व्यय लेखा अधिकारी द्वारा जमा नहीं लिया गया तथा कहा गया कि पत्थलगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर दो." पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर के पत्र दिनांक 22-5-2017 में दिया गया अभिमत निम्न है-

"इस संबंध में उक्त पद के अभ्यर्थी का यह कथन सत्य नहीं है कि उनके द्वारा जमा किया गया निर्वाचन व्यय लेखा, लेखाधिकारी जमा नहीं लिया गया. इस तथ्य को उनके द्वारा तत्समय में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिला कार्यालय जशपुर के किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना था जो कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा समयावधि में जमा नहीं किया जाना परिलक्षित होता है." कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जशपुर द्वारा प्रेषित अभिमत से भी अभ्यर्थी के शपथपूर्वक कथन में दिये गये तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है.

अत: उपरोक्त विवेचना से मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण उर्वसी सिंह ठाकुर, फूलो पन्ना, लक्ष्मी सिदार एवं सुशीला मिंज प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थीगण उर्वसी सिंह ठाकुर, फूलो पन्ना, लक्ष्मी सिदार एवं सुशीला मिंज को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 1 जून, 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.